

32  
 2021 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाम उभम पछ उफ।  
 तहसीलदार नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त  
 हो चुका है। वकुलाम उभम पछ ने विभाजन प्रस्ताव  
 अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किमे जाने की  
 सहमति दी। पत्रावली क विभाजन प्रस्ताव का अक्लोन  
 किया गया। प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में पछ-  
 कारान को सूचित कर कब्जाकारित क आई मीटर  
 एंड वाउड्स के आधार पर आपसी सहमति से  
 तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिस  
 पर किली भी पछ को कोई आपत्ति भी नहीं है। अतः  
 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादीगण अन्तिम  
 रूपसे डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

—सजातर—

P.D. सीमा (डी)

28/02/2021

RSK  
ADV.



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण अन्तिम रूप से मुलाबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पृथक-पृथक कामिज खाते-दार काश्तकार घोषित किया जाता है विभाजन प्रस्ताव मम नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल फ़रामद हेतु पर्चा डिक्री मुतीब हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ला नम्बर से कम होकर फ़रार दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(12)

(वृजेश कुमार)

(वृजेश कुमार)  
सहायक कलेक्टर (नैनीताल)  
नैनीताल (सीकर) राज.